FORM -21C (See rule 64)

## Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the people Act, 1951.

Election to the House of the People from the 16-JODHPUR Parliamentary Constituency in S20-Rajasthan (State)

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Sh. GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT H.NO. A-34 AJIT COLONY RATANADA JODHPUR

sponsored by **Bharatiya Janata Party** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jodhpur

Date: 23rd May 2019

790

(Prakash Rajpurohit) Returning Officer

16-JODHPUR Parliamentary Constituency
District Collector and District Magistrate
Jodhpur

Returning Officer

16-Jodhpur Parliamentary Constituency (District Collector and District Magistrate, Jodhpur)

## प्ररूप - 21 ग (नियम 64 देखिए)

## लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

एस.20-राजस्थान राज्य के 16-जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिये निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि :-

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मकान न. A-34 अजित कोलोनी रातानाडा जोधपुर

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए, उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में रूथान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- जोधपुर दिनांक :- 23 मई 2019

(प्रकाश राजपुरोहित) रिटर्निग अधिकारी 16-जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपूर

> रिटनिंग ऑफिसर 16-जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर)